241/16

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार पुष्टि पत्रकों के अनुसार ग्राम कोठियों की खातेदारों के खाता नं. 891, 892, 1017 में खातेदारों की भूमि चमार की होने से खातेदार अपनी भूमि चमार में बेरवा की करना चाहते है। प्रकरण रेवाई का एकबोधन किया गया। ग्राम कोठियों के खाता नं. 891, 892, 1013 में खा. की भूमि चमार के बजाय बेरवा किये जाने का आदेश दिया जाता है। फाम तहसीलदार, पुष्टि पत्रकों को दिया जावे। आदेश आज दिनांक 9-5-16 को कोठियों पर सभी आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा कस्बा, जिला-भीलवाड़ा